न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 3/2024

राहुल कुमार पिता बाबूलाल जाति मीणा निवासी चन्देरिया तह0 बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

1. कमली पुत्री भूरा जी जाति धाकड़ निवासी ग्राम पंचायत राजगढ़ तह0 बेगूँ
2. नानी पुत्री भूरा जी जाति धाकड़ निवासी महेसरा ग्राम पंचायत राजगढ़ तह0 बेगूँ
3. भैरूलाल पिता भूरा जाति धाकड़ निवासी महेसरा ग्राम पंचायत राजगढ़ तह0 बेगूँ
4. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :–17.02.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा उल्लुपुरा पटवार हल्का केरपुरा तह.. बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2078 की खतौनी संख्या 51 अंकित आराजी संख्या 110 रकबा 0.4400 हैक्टर कृषि आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। जो प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है।

यह कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात संख्या 110 पर पहुँचने के लिए रास्ता आराजी संख्या 110 की उत्तरी सीमा पर स्थित आराजी संख्या 137/109 की पूर्वी सीमा से होते हुए आराजी संख्या 104 बिलानाम रास्ता तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज मुख्य मार्ग पर पहुँचता है, जिसको प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में स्पष्ट वर्णित किया है प्रार्थी द्वारा नक्शे में वर्णित उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर उपलब्ध है। जिससे प्रार्थी अपनी उक्त कृषि आराजीयात पर पहुँचकर कृषि कार्य कर रहे है परन्तु उक्त कृषि आराजीयात पर पहुँचने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना करते है एवं रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। जिससे प्रार्थी का अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है तथा वर्तमान में प्रार्थी की उक्त खेत पडत पड़ा हुआ है।

यह कि प्रार्थी द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात के आराजी संख्या 110 पर आने जाने के लिए आराजी संख्या 137/109 की पूर्वी सीमा से होते हुए आराजी संख्या 104 बिलानाम रास्ता जो पार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित अनुसार रास्ते से होकर अपनी कृषि आराजीयात पर पहुँचते है इसी प्रकार संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में कायम किये जाने हेतु प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थ की उपरोक्त वर्णित मौजा उल्लुपुरा की आराजी संख्या 110 पर पहुँचने के लिए उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी विगत काफी वर्षो से व लम्बे अर्से से उक्त नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ते ही अपनी कृषि आराजीयात पर आ जा रहे है इसलिए प्रार्थी का सुस्थापित मार्ग है। विपक्षीगण रास्ता वर्णित भूमि के खातेदार है जिनको भी पक्षकार बनाया गया है।

यह कि विपक्षीगण अपनी आराजयीत पर विद्यमान रास्ते से होकर आने जाने से प्रार्थी को रोक रहे है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात पर कृषि उत्पादन फसल खाद बीज आदि नहीं निकाल पा रहा है एवं अपने खेत पर आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है। विपक्षीगण को प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने के रास्ते के उपयोग उपभोग करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए कानूनन विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया

जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। जिनके लिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान मे पेश है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से रोक दिया गया तो प्रार्थी अपनी आराजीयात की देखरेख नही कर पायेगे एवं प्रार्थी अपनी भूमि में फसल आदि की बुवाई नहीं कर पायेगा जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में फसल आदि की बुवाई नहीं कर पायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा प्रार्थी कृषको को अपनी कृर्षि आराजी के खातेदारी अधिकारो से वंचित हो जावेगा।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार वर्णित रास्ते का प्रतिकर जमा किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फराया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत कर जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित जमीन प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है लेकिन प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 गीलत होने से अस्वीकार है आराजी नम्बर 110 पर जाने का रास्ता आराजी नम्बर 137/109 से होकर नहीं जाता बल्कि आराजी नम्बर 105, 113, 143/111 में होकर आता है जो रास्ता कदीमी पुराना है। प्रार्थी अब उस रास्ते नहीं निकल कर सीधा रास्ता हम अप्रार्थी के खेत में होकर नाया रास्ता कायम कराना चाहता है जिसका उसे अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी को महज परेशान कर नया रास्ता कयम करने के लए झुठा और निराधार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र की अन्य सभी चरण को गलत बताते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में कभी रास्ता ही नहीं था तो रोकने का कथन सर्वथा गलत है। यदि नया रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाए जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 751 दिनांक 19.09.2021 के साथ मौका पर्चा, रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत पारसोली की, नक्शा रास्ता, जमाबंदी तथा रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकर की जो कि रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि की गणना विपक्षीगण काश्तकारान के लिए दी जाने वाली राशि सम्बन्धी प्राप्त हुई।

रिपोर्ट में तसहीदार बेगूँ द्वारा अंकित किया कि प्रार्थी राहुल कुमार पिता बाबुलाल मीणा निवासी चन्देरिया की खातेदारी भूमि ग्राम उल्लुपुरा पटवार हल्का केरपुरा की आराजी संख्या 110 रकवा 0.44 हैक्टर में पहुच हेतु अप्रार्थी की आराजी संख्या 137/109 रकबा 0.24 हैक्टर मे से रास्ता चाहा गया है , प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुँच हेतु इस रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थी द्वारा चाहा गया /प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी पर है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुच हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा उल्लुपुरा की आराजी संख्या 137/109 रकाब 0.24 हैक्टश्र मे से पूर्वी सीमा से 116 गुणा 4 मीटर यानि 464 वर्गमीटर भूमि यानि 0.0464 हैक्टर भूमि रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा मे दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दरो के तहत मुआवजा राशि की गणना की जाकर संलग्न है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी में वृक्ष फसल व पक्की संरचना नहीं है। इस प्रकार रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल की गई साथ ही प्रस्तावित रास्ते की मुआवजा राशि की गणना डीएलसी दरो से जो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा की गई वह निम्न प्रकार से है :–

रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत पारसोली अनुसार ग्राम उल्लुपुरा प0ह0 कैरपुरा में आराजी संख्यसा 137/109 मे से 464 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

वर्तमान डी एल सी रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य डी एल सी – 488022/–
डी एल सी का गुणा – 488022गुणा 2 यानि 976044/–
आराजी संख्या 137/109 के प्रभावित किसानो को देये मुआवजा राशि:–
976044/10000गुणा 464 यानि 45288/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	137/109	कमली पुत्री भूरा जाति धाकड	1/3	15096/–
2–	137/109	नानी पुत्री भूरा जाति धाकड	1/3	15096/–
3–	137/109	गेरू पुत्र भूरा जाति धाकड	1/3	15096/–
		कुल देय मुआवजा राशि		45288/–

प्राप्त रास्ता रिपोर्ट एवं प्रार्थना मे प्रस्तुत जवाब विपक्षीगण पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीगण की कृषि भूमि से उनकी कृषि आराजी में आने जाने का रास्ता होने का कथन किया तथा रास्ता राजस्व रेकार्ड में कायम किये जाने का निवेदन किया, जबकि विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया है विपक्षीगण की कृषि भूमि से कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस को सुना गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज एवं रास्ते के सम्बन्ध मे प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया, प्राप्त रिपोर्ट में भू0अ0नि0 वृत पारसोली ने स्पष्ट किया है कि प्रार्थी की उक्त भूमि पर पहुँच हेतु इस रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। विपक्षीगण ने यह तथ्य स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थी उनकी कृषि आराजी से रास्ते का उपयोग नही कर अन्य रास्ते से जाते है। चूँकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु विपक्षीगण की कृषि आराजी से ही रास्ता उपलब्ध है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत रास्ते की भूमि कृषक को उपलब्ध कराने के प्रावधान है। समस्त दस्तावेज से एवं प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी राहुल कुमार पिता बाबूलाल मीणा निवासी चन्द्ररिया तह0 चितौडगढ के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा उल्लुपुरा पटवार हल्का कैरपुरा की आराजी संख्या 110 रकबा 0.44 हैक्टर भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि आराजी संख्या 137/109 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि मे से पूर्वी सीमा से 116 गुणा 4 मीटर यानि 464 वर्गमीटर भूमि यानि 0.0646 हैक्टर भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दर्ज किये जाने के लिए प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि हेतु मुआवजा राशि 45288/– रूपये तहसील कार्यालय में जमा कराने पर प्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने हेतु विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 137/109 की भूमि से 0.0464 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को भुगतान हेतु मुआवजा राशि 45288/– तहसील कार्यालय में जमा कराने पर आदेश की पालना तहसीलदार बेगूँ द्वारा की जावे साथ ही विपक्षीगण को उपरोक्त राशि का भुगतान निर्णय में दर्शाये गये अनुसार किया जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
दिनांक ::–

क्रमांक/सरिश्ता/2025/
प्रार्थना पत्र संख्या 3/2024 व अनवान राहुलकुमार बनाम श्रीमति कमला व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ